प्रेषक,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1 सम्पादक दैनिक जागरण, उत्तराखण्ड संस्करण।
2 सम्पादक हिन्दूस्तान, उत्तराखण्ड संस्करण।
3 सम्पादक टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी संस्करण, दिल्ली।

पत्रांकः–कृ.नि./ /पंजी./कृषि यंत्र/2025–26/देहरादून दिनांक, 01/01/ ~~दिसम्बर~~, 2026।

विषयः– जिओ लाइन टैंक के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन विषयक।

महोदय,

आपको इस निदेशालय द्वारा जिओ लाइन टैकं के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/ पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस सूचीबद्ध/ पंजीकरण सूचना को न्यूनतम पठनीय साईज अथवा संलग्न साईज को हिन्दी संस्करण में तत्काल नियमानुसार समयान्तर्गत प्रकाशित करने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः–कृ.नि./6904/पंजी./कृषि यंत्र/2025–26/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भण्डार, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि विज्ञप्ति प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
2. हरिनन्दन जोशी, कनिष्ठ सहायक, कृषि निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि पंजीकरण संबंधी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट www.agriculture.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

1/12/25

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

जिओ लाइन टैंक के सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु निर्धारित शर्तें एवं नियम

1. निविदादाता को जिओ लाइन टैंक निर्माण हेतु राज्य/भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग में मूल निर्माता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। सभी निविदादाता को विभाग द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकरण फार्म का मूल्य बिक्री कर सहित रू० 2000/-(दो हजार रूपये मात्र) में उपलब्ध होगा, फार्म कृषि निदेशालय, उत्तराखंड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर 2,**फरवरी, 2026 (सांय 05:00)** तक प्राप्त किये जा सकेंगे या www.agriculture.uk.gov.in की वेबसाइट के एडवरटीजमेन्ट सेक्सन से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। **पंजीकरण फार्म दिनांक-3, फरवरी, 2026 तक कृषि निदेशालय, उत्तराखंड देहरादून, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून के कार्यालय में सायं 5.00 बजे तक टेण्डर बाक्स में स्वंय द्वारा अथवा पंजीकृत डाक जमा किये जा सकेंगें।** जीओ लाइन टैकं के आवेदन के साथ **आवेदन शुल्क रू० 2000/-** को कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के नाम का बैंक ड्राफ्ट/ई-चालान अथवा विभागीय रसीद (D-2) फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। जिओ लाइन टैकं का पंजीकरण हेतु आवेदन लिफाफे में किया जाना होगा एवं लिफाफे के ऊपर सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु जिओ लाइन टैकं का नाम अवश्य अंकित किया जाय।
2. पंजीकृत किये जाने वाले जिओ लाइन टैकं का स्पेसिफिकेशन सलंग्नक है।
3. जिओ लाइन टैक की विशिष्टियां (Specification) पंजीकरण फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। इस के साथ ही फर्म को जिओ लाइन टैकं की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण-पत्र की सुस्पष्ट प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता फर्म द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकरण कराये जाने वाले जिओ लाइन टैंक के आवेदन के साथ निर्धारित मानक अनुसार जिओ लाइन का प्रयोग किया जायेगा। निविदादाता को निर्धारित मानक अनुसार जिओ लाइन के मूल निर्माता या मूल निर्माता फर्म का अधिकृत विक्रेता होना अनिवार्य है अधिकृत विक्रेता को इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। टैंक निर्माण में प्रयोग की जाने वाली जिओ लाइन का भारत सरकार द्वारा निर्धारित संस्था की टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी।
5. जिओ लाइन टैंक निर्माण में प्रयुक्त होने वाला वायर निर्धारित मानक का होना आवश्यक है एवं जिस फर्म का उपयोग में लाया जायेगा उसका का प्रमाण पत्र एवं परीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता फर्म द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकरण कराये जाने वाले जिओ लाइन टैंक के आवेदन केसाथ जीओ लाइन टैंक निर्माण की कीमत में Base/धरातल निर्माण की लागत के साथ-साथ सम्पूर्ण टैंक की लागत को सम्मलित करते हुए, MRP टैंक की कीमत के साथ विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
7. निविदादाता फर्म द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकरण कराये जाने वाले जिओ लाइन टैंक के आवेदन के साथ जिओ लाइन टैंक निर्माण का सरकारी विभागों में रू० 1.00 करोड़ की कार्यपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता फर्म को निविदा के साथ गत 03 वर्ष की बैलेंसशीट भी संलग्न करना अनिवार्य है। तथा गत 03 वर्ष का औसत टर्नओवर न्यूनतम रू0 2.00 करोड़ होना चहिए।
9. प्रदायकों को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री की न्यूनतम पांच वर्ष की गारंटी/वांरटी भी देनी होगी।
10. भारत **वर्ष के मूल** निर्माता ही जिओ लाइन टैंक का आवेदन कर सकेगें तथा आवेदन पत्र के साथ चार परत जिओ लाइन टैंक का डेमो सैम्पल एंव कटिंग सैम्पल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

11. जिओ लाइन टैंक विनिर्माता फर्म द्वारा रु 2.00 लाख की धरोहार धनराशि FDR के रुप में जमा करनी होगी।

12. मूल निर्माता फर्म द्वारा डीलर की नियुक्ति के कम में केवल मण्डलवार ही डीलर नियुक्त कर सकेगा, जिसमें प्रत्येक मूल निर्माता फर्म प्रति मण्डल में केवल एक ही डीलर नियुक्त कर सकेगा। प्रत्येक डीलर के लिये रू० 1000/–का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

13. डीलर नियुक्ति से सम्बन्धित विवरण (ऑथराइजेशन लेटर, दुकान का नजरी नक्शा, जी0एस0टी0, पूर्व में ब्लेक लिस्ट न किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो एक वर्ष के लिये मान्य होगा, यदि वर्ष के माध्य में नया डीलर नियुक्त किया जाता है, तो इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन विभाग की ई–मेल आई०डी० पर उपलब्ध कराते हुये मूल दस्तावेज पंजीकृत डाक के माध्यम से समयान्तर्गत कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे प्राप्त आवेदनों पर डीलर नियुक्ति का अन्तिम निर्णय कृषि निदेशक द्वारा लिया जायेगा।

14. सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/मूल विनिर्माता फर्म को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है, साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट छायाप्रति भी फार्म के साथ संलग्न करनी होगी। प्रदायकर्ता को केन्द्रीय व्यापार पंजीकरण/जी0एस0टी0 एवं आयकर पैन नम्बर की छाया प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।

15. सूचीबद्ध/पंजीकरण की वैद्यता सूचीबद्ध/पंजीकरण तिथि से 2 वर्ष तक के लिये मान्य होगी। अपरिहार्य स्थति में समय अवधी बढाये जाने हेतु महानिदेशक कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

16. फर्म द्वारा जिओ लाइन टैंक की प्रस्तुत दर अन्य किसी राज्य में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नही होनी चाहिए साथ ही साथ इस आशय का भी प्रमाण पत्र देना होगा कि नियम एवं शर्तें निविदा में लिखी गयी हैं उसका पालन पूर्ण रूप से किया जाएगा। इस हेतु पंजीकरण आवेदन के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण–पत्र सलंग्न किया जाय।

17. सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु पंजीयन शुल्क (Non Refundable) बैंक ड्राफ्ट जिओ लाइन टैंक हेतु देने होंगे।

18. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज/आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

19. यदि विभाग चाहे तो पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद देहरादून होगा।

20. यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि से पूर्व समाप्त होती है, तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

21. जीओ लाइन टैंक की दरों में एक वित्तीय वर्ष में वृद्धि नहीं की जाएंगी, परन्तु जीओ लाइन टैंक की निर्माण सामग्री के दरों में कमी होने पर लागत में कमी का संशोधन किया जा सकता है।

22. प्रदाय की गई कोई भी जानकारी कभी भी असत्य पाये जाने की दशा में सूचीबद्ध/पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

23. क्रय किया गया सूचीबद्ध/पंजीकरण प्रपत्र किसी अन्य प्रदायकर्ता को न तो विक्रय किया ज सकेगा और न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

24. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रदाय आदि के बारे में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धि

प्रदायक का पंजीकरण निरस्त किया जायेगा और ऐसी फर्म को काली सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जायेगा।

25. प्रदायकों को जिओ लाइन टैंक प्रदाय के उपरान्त जिओ लाइन टैंक को चलाने और उसके रख–रखाव की तकनीकी जानकारी से कृषकों को सन्तुष्ट करना होगा।

26. प्रदायकों द्वारा समय–समय पर निदेशालय को वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित फर्म को पंजीकृत सूची से अलग किया जा सकता है।

27. जिओ लाइन टैंक में प्रयुक्त होने वाली एच0डी0पी0 सीट का परीक्षण CIPET अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से परीक्षण उपरांत आपूर्ति हेतु अनुमन्य होगा।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

Minimum Technical Specification of Four Layer Geo Lined Tank 20000 litre

S.N.	Description of Items		
1	Providing and Fixing Wire Mesh 3.1mm thickness Zinc Coating 100gsm drawn steel BIS 3975: 1999 wire mesh fabric 75x24 mm wire of weight not less than 3.30 Kg per sqm to steel		
2	Providing and Fixing Pre-coated galvanized iron profile sheets (size, shape and pitch of corrugation as approved by engineer -in-charge) 0.50 mm (+0.05 %) total coated thickness with zinc coating 80- 120 grams per sqm as per IS: 277/BIS 14246:2013, in 240 mpa steel grade, 5-7 microns epoxy primer on both sides of the sheet		
3	Providing and Fixing Monofilament Geo textile having Thickness ASTM D 5199/EN9863 2.1 mm Mass ASTM D 5261 300 GM/M2 Wide width tensile Elongation ASTM 4595/EN 10319 50/50% Grab Tensile Strengths ASTM D4632/EN 13934 620 N. Trapezoidal Tear strength ASTM D4533/EN 90/3 300 N, Mullen Burst ASTM D3786 250 PSL, CBR Puncture Strength ASTMD6241/EN12236 1900N. Floor rate (5cm Head) ASTM 4491/EN11058 125L/S M2, UV Resistance ASTM G154@ 500 Hrs > =50% as per direction of Engineer-in-Charge.		
4	Providing and Fixing Laminated High Density Polyethylene Woven Fabric Geo membrane BIS standard BIS 15351:2015 (TYPE II) of 500 micron in which BIS standard BIS 15351:2015(TYPE II) is compulsory, breaking load on 20x10cm strip, before UV exposure IS: 13162 (Part 5) 3500 N, strain at maximum load IS:13162(PART 5) 20+-5%,tear resistance Annex C of IS: 15351 120 N, puncture resistance IS: 15351 400 N, seam strength before IS:15060 24 N/ml, hydrostatic resistance 15 kg/cm2 traditional coated woven geo membrane.		
5	Providing and Fixing Anti Algae Cover Woven Polypropylene Cover Quality 210 gr./m², Main body strength Warp40 % Weft 40 %, Main body elongation Warp 17 % Weft 14 %, Size of gap 135 micron, Water permeability 10 ltr/m²/sec,		
6	Mild steel round bar		
7	CPVC Gate Valve		
8	Tank nipple		
9	Nut bolt		
10	MS clamp		
11	All Plastic/HDPE Sheet used should be CIPET tested		
	Description of item	Qty	Unit
12	Earth works excavation in foundation	1.63	Cum
13	R.R. 1:6 stone masonry	2.11	Cum
14	Stone filling on botto m	1.5	Cum
15	C.C. 1:4:8 in foundation	1.3	Cum
16	C.C. 1:2:4 in base of tank	1.09	Cum
17	Transportation		
18	Installation		

जिओ लाइन टैंक निर्माता फर्म द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत जीओ लाइन टैंक का विवरण (प्रपत्र–1)

क्र0 सं0	फर्म का नाम व पूरा पता	जिओ लाइन टैंक की क्षमता	जिओ लाइन टैंक स्थापित करने सहित मूल्य			आवेदन शुल्क का विवरण
			टैंक व स्थापित करते हुए मूल्य	टैक्स का विवरण	कुल मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)..

पत्र व्यवहार का पूरा पता ....

फोन न0..

फैक्स न0..

E-Mail..

(Signature of Manufacturer)

Format-2 Technical Specification

क्र. सं.	मूल निर्माता फर्म का नाम	टैंक निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले जीओ लाइन के मूल निर्माता है	जीओ लाइन के अधिकृत फर्म का नाम जिसका जीओ लाइन प्रयोग में लाया जायेगा	जिओ लाइन का स्पेसिफिकेशन	टेस्टिंग संस्था का नाम	जिओ लाइन के टेस्ट रिपोर्ट का विवरण	टैंक निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला तार का स्पेसिफिकेशन	फर्म का नाम जिसके तार का उपयोग किया जायेगा	टेस्ट रिपोर्ट का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Signature of Manufacturer)

जिओ लाइन टैकं के सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीकरण फार्म संख्या..
दिनांक..
सील..
मूल्य 2,000.00 रू० प्रति फार्म (जी0एस0टी0 सहित)

1. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित जीओ लाइन टैंक का नामः–..
2. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित जीओ लाइन टैंक का नाम एवं ब्राण्ड यदि कोई हो तोः–..........
   (1) ब्राण्ड नेम की वैधता तिथि..
3. विनिर्माता फर्म के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नामः–..
4. विनिर्माता फर्म का नाम व पूरा पता फैक्स/फोन नं० आदि सहितः–..
5. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित जीओ लाइन टैंक के मानक स्तर का विवरणः–..........................
   आई०एस०आई०/बी०आई०एस०/टेस्टिग रिपोर्ट

   (1) अधिकृत मार्क..
   (2) अधिकृत मार्क की संख्या..
   (3) अधिकृत मार्क की वैद्यता तिथि..
   (4) टेस्टिंग रिपार्ट जिसे कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है का विवरण
   यदि जीओ लाइन टैंक पर लागू होता हो..
6. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित जीओ लाइन टैंक के विनिर्माण का विवरणः–
   (1) (राज्य/भारत सरकार उद्योग विभाग, पंजीकरण प्रमाण पत्र)..
   (2) फैक्ट्री जहां स्थित है। राज्य/स्थान..
7. जीओ लाइन टैंक की सेल्फ लाईफ का विवरण..
8. सूचीबद्ध/पंजीयन फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।
   अ– विभागीय कैश रसीद संख्या– (D-2)/बैंक ड्राफ्ट का विवरण ....
   ब– जमा की गयी धनराशि रू०–..
9. बैंक गारन्टी हेतु नामित बैंक का विवरणः–
   (1) प्रकार.......................... (2) बैंक का नाम ....
   (3) संख्या एवं तिथि .... (4) प्रदत्त बैंक गारन्टी रू0..........................
   जीओ लाइन टैंक की आपूर्ति का माध्यम/स्रोतः–
   (आपूर्ति जिस डिपो से की जायेगी उस डिपो धारक का नाम व डाक पता, फोन एवं फैक्स नं0 अंकित करें)..

10. विनिर्माता फर्म का पैन नम्बर– ....

11. विनिर्माता फर्म केन्द्रीय जी०एस०टी० पंजीकरण संख्या– ....

12. विनिर्माता फर्म उत्तराखण्ड जी०एस०टी० कर पंजीयन संख्या–...

(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13. क्या विर्निमाता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है "हां" और "नहीं" में उल्लेख किया जाये (100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण–पत्र सलंग्न किया जाय)...............................

14. क्या विनिर्माता फर्म के विरूद्ध किसी केन्द्र शासित प्रदेश/प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है, अथवा निष्पादित हुई है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें...

15. टैंक निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले जीओ लाइन के मूल निर्माता है अथवा अधिकृत डीलर का विवरण..

....

16. जीओ लाइन के अधिकृत डीलर होने की स्थिति में फर्म का नाम जिसका जीओ लाइन प्रयोग में लाया जायेगा ....

17. फर्म का नाम जिसके तार का उपयोग जीओ लाइन टैंक बनाने में किया जायेगा..............................

....

नोट:– 1. प्रत्येक बिन्दु से संबन्धित प्रमाण पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त कम में ही संलग्न की जायें।

2. प्रत्येक जीओ लाइन टैकं हेतु अलग–अलग तकनीकी प्रपत्र भरा जाएगा।

निर्धारित सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी शर्ते भली–भॉति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तो से पूर्णतयाः सहमत हूँ।

विनिर्माता फर्म/प्रदायकर्ता/पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर..............................

पूर्ण पता..

....

फोन नम्बर...

फैक्स नम्बर...

E-mail:...

सील..